



**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)**

**पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)**

**प्रकरण संख्या :- 23/2012**

**बउनवान**

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार छबडा जिला बारों

(प्रार्थी)

**बनाम**

श्री गोपालदास पुत्र मुरलीदास जाति ब्राह्मण निवासी नीमथूर तहसील छबडा जिला बारों

(अप्रार्थी)

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थित :- 1- परोकार सरकार

(प्रार्थी)

**निर्णय दिनांक 25.4.2019**

प्रार्थी तहसीलदार छबडा ने रेफरेंस केस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नीमथूर तहसील छबडा की भूमि खसरा नम्बर 154 की रकबा 1.08 बीघा किस्म वा0 11/ गैर मुमकीन नाला मुताबिक रेकार्ड खतौनी बन्दोवस्त सम्वत् 2012-2031 मे खाता सरकार मे बिलानाम नाकाबिल काश्त दर्ज रेकार्ड थी। उपरोक्त वर्णित भूमि भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व 88 (2) के अनुसार सरकार के स्वामित्व की ही भूमि है तथा ऐसी भूमियों का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 मे किसी भी प्रकार से आवंटन/नियमन करना वर्जित है।

उक्त ग्राम नीमथूर की भूमि खसरा नम्बर 154 की रकबा 1.08 दिनांक 2.12.1976 को उप जिलाधीश छबडा द्वारा श्री गोपालदास पुत्र मुरलीदास जाति ब्राह्मण निवासी नीमथूर तहसील छबडा के हक मे नियमन/आवंटन किया गया है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2064-67 मे हैसियत खातेदार श्री गोपालदास पुत्र मुरलीदास जाति ब्राह्मण निवासी नीमथूर तहसील छबडा के नाम दर्ज है।

उपरोक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत अवैधानिक है तथा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्ववत स्थिति मे दर्ज किया जाना है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि उपरोक्त आवंटन को खारिज फरमावे। ताकि भूमि को पूर्व की स्थिति अनुसार दर्ज किया जा सके।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर रेफरेंस दिनांक 1.10.2012 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जयें सम्मन कई बार तलब किया गया। प्रार्थी तहसीलदार छबडा द्वारा इस न्यायालय को पत्रांक 3806 दि. 9.8.2018 के संलग्न पटवारी रिपोर्ट के माध्यम से अवगत करवाया गया कि आवंटी री गोपालदास पिछले 30 वर्ष पूर्व गांव नीमथूर को छोडकर जा चुका है एवं वर्तमान मे कहां रहता है, इसके बारे मे गाँव मे किसी को जानकारी नही है। इस पर प्रकरण मे प्रार्थी की ओर से उपस्थित परोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

बहस के दौरान परोकार सरकार ने कहा कि जो भूमि किस्म गैर मुमकीन नाला अप्रार्थी को आवंटन की गई है। प्रकरण में पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.8.2012 के अनुसार उक्त विवादित भूमि पर खातेदार मौके पर काबिज नहीं है वर्तमान में मौके पर उक्त भूमि पडत पडी हुई है। यह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन योग्य नहीं है, उक्त धारा का उल्लंघन किया गया है। रेकार्ड व मौके पर विवादित भूमि गैर मुमकीन नाला अवस्थित है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना है। अतः आवंटन निरस्त फरमाया जावे। ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना की जा सके।

हमने परोकार सरकार की एकपक्षीय बहस को सुना व पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध समस्त रिकार्ड का भी अवलोकन किया गया, अप्रार्थी को नियमन/आवंटन की गई भूमि ग्राम नीमथूर तहसील छबडा जिसके खसरा नम्बर 354 की रकबा 1.08 बीघा है। जो किस्म गैर मुमकीन नाला था, वह भी विद्यमान है। वह आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। उक्त रकबा अप्रार्थी को किस्म गैर मुमकीन नाला का आवंटन/नियमन किया गया है, जो विधि अनुरूप न होने से प्रारम्भतः ही निरस्त योग्य है। यह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन योग्य नहीं है, उक्त धारा का उल्लंघन किया गया है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.8.2012 के अनुसार उक्त विवादित भूमि पर खातेदार मौके पर काबिज नहीं है वर्तमान में मौके पर उक्त भूमि पडत पडी हुई है। जिससे भी आवंटन की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। इस प्रकार विधि विरुद्ध आवंटन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के नाम इस न्यायालय को भिजवाये जावे। उक्त डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिये हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य माना जाकर ग्राम नीमथूर तहसील छबडा के खसरा नम्बर 354 की रकबा 1.08 बीघा, भूमि किस्म गैरमुमकीन नाला अप्रार्थी को नियमन/आवंटन की गई है। जिसको निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत मूल रेफरेंस प्रार्थना पत्र बाद अनुशंसा माननीय न्यायालय निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो। तहसीलदार छबडा को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय की मूल पत्रावली प्राप्त कर, राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेंस प्रस्तुत करवाकर प्रकरण में सावचेत होकर पैरवी करना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 25.4.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

( सुदर्शन सिंह तोमर )  
अति० जिला कलक्टर, बारां